कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 1308 / 12-1 :देहरादून: दिनांक: 06 जनवरी, 2024

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण,
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषयः– जनपद–हरिद्वार के विकाखण्ड बहादराबाद में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, गैंड़ीखाता से नौंरगाबाद मोटर मार्ग हेतु 1.603 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/12985/2015)

संदर्भः–

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी. / यू.सी.पी. / 06 / 227 / 2016 / एफ0सी0 / 2301 दिनांक 27.02.2019.
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 1318 / 12–1 दिनांक 26.12.2023 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है :–

क्र	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 3.206 है0 ग्राम–मौजा बसचन्दपुर एवं दुधला दयालवाला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित भूमि जिलाधिकारी हरिद्वार के पत्रांक संख्या 205 / जि0भू0व्य0सहा0–2021, दिनांक 02.12.2021 तथा पत्रांक संख्या 998 / जि0भू0व्य0सहा0–2023, दिनांक 23.03.2023 द्वारा वन विभाग के पत्र में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित की गयी है। (संलग्नक–01) प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–02ए)
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की धनराशि उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार द्वारा प्राप्त डिमाण्ड नोट के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी गयी है। (संलग्नक–02बी)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचन बद्धता प्रस्तुत की जाये।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक–03)

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost, NPV etc) को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किये जाये। अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि CA Cost, NPV etc को वैब पोर्टल पर ऑनलाईन जनरेट किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा की गयी है, जिसमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। **(संलग्नक–02ए एवं 02बी)**
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Stip Plantation की जायेगी। इस आश्य की बचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित वचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
	विधिवत स्वीकृति हेतु अन्य आवश्यक शर्तें	
6	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–05)**
7	एन0पी0वी0 की दरों में अगर बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–06)**
8	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 3.206 ग्राम मौजा बसचन्दपुर एवं दुधला दयालवाला सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–07)**
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–08)**
10	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–09)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टाफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–10)**
12	परियोजना के निर्माण व रखरखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–11)**
13	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शायें गये उद्देश्य के आलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी0 भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–12)**
14	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 29 से अधिक न हो।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–13)**
15	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–14)**

16	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेका जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–15)**
17	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–16)**
18	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रेषित बचन बद्धता संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–17)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

6/01/24

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1303 / 12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. उप वन संरक्षक, हरिद्वार वन प्रभाग, हरिद्वार।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।